दिनांक 09.09.2014 को कृषि विभाग, विकास भवन के सभा कक्ष में प्रधान सचिव, कृषि की अध्यक्षता में आयोजित राज्यस्तरीय मासिक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थितिः—पंजी में संधारित।

श्री विधि धान प्रत्यक्षणः—

1. श्री विधि धान प्रत्यक्षण की उपलब्धि का समीक्षा किया गया समीक्षोपरान्त पाया गया कि बहुत जिलों नें 75—80% उपलब्धि है। पृच्छा के क्रम में बताया गया कि उस जिले में अनुसूचित जाति/जनजाति की संख्या नगण्य है इसलिये उपलब्धि कम हुआ है।

   नोडल पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि रबी में लक्ष्य आवंटन के पूर्व यह देख लें कि जिस जिला में अनुसूचित जाति/जनजाति की संख्या—कम है, वहां लक्ष्य कम दें तथा जहाँ ज्यादा है उस जिले में ज्यादा लक्ष्य दें।

मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना एवं बीज ग्राम योजनाः—

2. प्रधान सचिव कृषि द्वारा मुख्यमंत्री तीव्र बीज विस्तार योजना एवं बीज ग्राम योजना अन्तर्गत जिलों में आपूर्ति की गई, धान, अरहर/उड़द बीज की समीक्षा की गई। समीक्षोपरान्त पाया गया कि अरहर एवं उड़द का बीज की आपूर्ति नहीं हुई है, साथ—ही बायो फर्टिलाइजर बहुत कम जिलो को आपूर्ति हुई है। पृच्छा के आलोक में BRBN द्वारा जानकारी दी गई कि विश्वविद्यालय द्वारा कम आपूर्ति किये जाने के कारण बायो फर्टिलाइजर की आपूर्ति कम जिलों को हुई। बायो फर्टिलाइजर कम आपूर्ति के लिये जिम्मेदारी निर्धारित होना चाहिये। बिहार राज्य बीज निगम के पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि जिम्मेदारी निर्धारित कर संचिका उपस्थापित करेंगे।

प्रक्षेत्र :—

3. प्रधान सचिव द्वारा बताया गया कि कृषि प्रक्षेत्रों पर बीज उत्पादन ठीक से नहीं हो रहा है। उन्होने कृषि प्रक्षेत्रों में अगामी रबी मौसम में गेहूँ के अतिरिक्त अन्य फसलों का बीज उत्पादन का निदेश दिया। उन्होंने राज्य के सभी प्रक्षेत्रों (Farms) पर किस फार्म में किस फसल का बीज उत्पादन करना है इसे चिन्हित कर शीघ्र योजना तैयार करने तथा अच्छी बीज उत्पादन करने का निदेश दिया गया। संयुक्त कृषि निदेशक प्रक्षेत्रों में बीज उत्पादन के जिम्मेवार होगें। मनरेगा से कृषि प्रक्षेत्रों पर फेन्सिंग फार्म के चारों तरफ कम क्षति पहूँचाने वाले वृक्ष/तालाब/जमीन समतलीकरण इत्यादि

कार्य कराये जाने का सुझाव दिया गया। प्रक्षेत्र मद में निकासी बहुत कम हुई है। खरीफ मद में प्राप्त राशि की निकासी सितम्बर माह में हो जाना चाहिये।

कृषि यांत्रिकरण :–

4. कृषि यांत्रिकरण का साफ्ट वेयर से संबंधित चेक लिस्ट एवं Online प्राप्त आवेदनों की समीक्षा की गई। समीक्षा में पाया गया कि अभी तक कुल 7076 आवेदन Online प्राप्त हुये हैं सबसे कम आवेदन जमुई एवं मधेपुरा से प्राप्त हुई है। संयुक्त कृषि निदेशक (अभियंत्रण) को निदेश दिया गया कि जमुई में शीघ्र प्रगति लाये। अनुसूचित जाति/जनजाति का आवेदन कम संख्या में Online प्राप्त होने पर प्रधान सचिव द्वारा चिन्ता व्यक्त की गई तथा प्रसार यंत्र को ठीक कर गाँव–गाँव में घुमकर आवेदन प्राप्त करने का निदेश दिया गया।
5. प्रधान सचिव कृषि द्वारा Online आवेदनों को प्राप्त करने की समय सीमा (15.09.2014) को समाप्त कर निरंतर आवेदन प्राप्त करने का निदेश दिया गया लक्ष्य के अनुसार इस वर्ष योजना में शामिल किया जायेगा शेष अगले वर्ष के लिये प्रतीक्षा में रखा जायेगा। उक्त आवेदन पर स्वीकृति के पश्चात दो मेला तक वह वैद्य रहेगा तथा अनुसूचित जाति/जनजाति का 16% उपलब्धि प्राप्त करने का निदेश दिया गया।
6. कृषि समन्वयक (AC) को 7 दिन तथा प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी को 7 दिनों के अन्दर जाँच करने का निदेश दिया गया।
7. एक व्यक्ति द्वारा एक से अधिक आवेदन भेजे जाने की स्थिति में पंचायत/ग्राम/बैंक एकाउन्ट नम्बर/नाम/पिता का नाम के आधार पर आवेदन की जाँच की जाए तथा एक आवेदन ही मान्य किया जाए। आवेदन अस्वीकृति का कारण वेबसाइट के माध्यम से निश्चित रूप से दिया जाए।
8. कृषि यंत्र जिस पर अनुदान 10000 (दस हजार) रूपया से कम है, प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी द्वारा स्वीकृति पत्र दिया जायेगा तथा 10000 (दस हजार) एवं उससे उपर अनुदान वाले यंत्रों की स्वीकृति जिला कृषि पदाधिकारी द्वारा दी जाएगी। प्रखंड कृषि पदाधिकारी स्वीकृति पत्र देते समय पंचायतवार एवं जिला कृषि पदाधिकारी प्रखंडवार 'पहले आओ पहले पाओ' के सिद्धान्त का पालन करेंगे।
9. 15.09.2014 तक कृषि यंत्र अनुदान हेतु प्राप्त आवेदन को निष्पादित करने एवं स्वीकृति पत्र 25.09.2014 तक जारी करने तथा इस माह के मेले में कृषि यंत्रों का वितरण करने का निदेश दिया गया। अगले माह में 10 तारीख तक प्राप्त आवेदन को अगले माह में आयोजित मेला के लिये स्वीकृत किया जायेगा।